

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 5178 /स्थापना/विज्ञप्ति/2025

दिनांक :- 29/4/25

// विज्ञप्ति //

- 1) म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12-01-2018 द्वारा मध्य प्रदेश डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 12/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची के अनुसार डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है जिस हेतु शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. 14/02/2022 के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हों। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में दिनांक 20/05/2025 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
- 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO Dr. Laxminaryan Pandey Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य हैं।
- 3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक प्राध्यापक

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद

तालिका क्रमांक 01

क.	विभाग	सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी	1	-	-	1
2	फार्माकोलॉजी	-	-	-	1
3	फिजियोलॉजी	-	-	-	1
4	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	1
5	मेडिसिन	-	-	-	1
6	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	1	-
7	सर्जरी	1	-	-	1
8	मनोरोग	1	-	-	-
9	शिशु रोग	-	-	1	1
10	नैत्र रोग	-	-	-	1
11	निश्चेतना विभाग	1	1	1	1
12	रेडियोडायग्नोसिस	1	-	-	1
13	पैथोलॉजी	-	-	-	1
14	फॉरेंसिक मेडिसिन	1	-	-	-
15	टी.बी. एण्ड चेस्ट	1	-	-	-
16	स्त्री एवं प्रसूति रोग	-	-	1 बैकलॉग	-
17	पी.एम.आर.	1	-	-	-
	Total - (24)	8	1	4	11

(यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी)

Dr. Laxminaryan Pandey
Dean and CEO
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक

तालिका क्रमांक 02

क.	विभाग	पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद निम्न पदों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।											
		प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	बायोकेमिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-
5	रेडियोडायग्नोसिस	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Total - (08)	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-

नोट:-

1) पदोन्नति के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 12.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

2) अभ्यर्थी को आवेदन में पद की अर्हता से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं संलग्न एनेक्सर के साथ आवेदन करना होगा।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। - पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। उक्त सन्दर्भ में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नस्ति अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

1. वेतनमान — नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक — 37400-67000+ ग्रेड-पे 10000+डी0ए0
सह प्राध्यापक — 37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+डी0ए0
सहायक प्राध्यापक — 15600-39100 + ग्रेड-पे 7000+डी0ए0
टीप — समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा — न्यूनतम
प्राध्यापक — 35 वर्ष
सह प्राध्यापक — 30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक — 25 वर्ष
टीप — आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) आवेदन दिनांक 20.05.2025 सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
- (ii) विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

Anita Matha
DEAN & CEO
Dr. L.N.P. Govt. Medical College

4. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क निम्नानुसार UPI/Net Banking/Chalan/NEFT के माध्यम से जमा कर रसीद की पावती अथवा Payment Screenshot की प्रतिलिपि ऑनलाईन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Account Name	-	New Government Medical College Autonomous Society, Ratlam
Account Number	-	37781005358
IFSC Code	-	SBIN0061542
Bank	-	State Bank of India
Branch	-	Medical College Ratlam
Account Type	-	Current Account
MICR Code	-	457002030

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1000 /- (एक हजार रुपये मात्र)	रु. 2000 /- (दो हजार रुपये मात्र)

5. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

6. अर्हताएं :-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रस्थापित टी.ई.क्यू. दिनांक 14/02/2022 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं।
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त 2023 की अनुसूची दो कर्मचारियों की आवश्यकताएं के बिन्दु क्रमांक क-4 के अनुसार "मानव शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी), मानव शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी), जैव रसायन विज्ञान (बायोकेमिस्ट्री) विभागों में कुल पदों की संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक गैर मेडिकल डिग्रीधारी अध्यापक नियुक्त किये जा सकते हैं।
- उन सभी विभागों में जहां पर एन.एम.सी. द्वारा नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को टी.ई.क्यू. (14 फरवरी 2022) पात्रता नियमावली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उन विभागों में एन.एम.सी. नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.08.2023 द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार तथा समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के संबंधित विभागों में वर्तमान में कार्यरत नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अध्यापकों की गणना कर मेडिकल एवं नॉन मेडिकल फेकल्टी, दोनों के अनुपात के आधार पर ही नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के आवेदनों को विचारण क्षेत्र में रखा जायेगा।
- उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
- आवेदक के पब्लिकेशन एम.एम.सी. के मापदण्डानुसार विज्ञापन जारी दिनांक तक के ही मान्य किये जायेंगे तथा Acceptance Publication को मान्य नहीं किया जावेगा।

7. निरर्हताएं :-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

Amila Mathur
J. L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

- 5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
8. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
9. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
10. पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
11. किसी भी समय बिना कारण बताये विज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकता है।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
14. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
15. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
16. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
16. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, Dean & CEO Dr. Laxminarayan Pandey Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20.05.2025 सांय 5:00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय तलाम, (म.प्र.) में जमा कराये जा सकते हैं। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई.डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार के संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।



Dr. L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।
18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट www.gmcraatlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पद पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

Anila Nutha

डॉ. अनिता मूथा, CEO

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. स्व. चि. मेहा. रतलाम